भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3952
जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त 2025/ श्रावण 27, 1947 (शक) को दिया गया

"जाली जीएसटी पंजीकरण"

3952. श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जाली या चोरी किए गए पैन और आधार कार्ड का उपयोग करके प्राप्त किए गए जाली माल और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरणों की जानकारी है और यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की प्रकृति और प्रमात्रा क्या है;

(ख) चिह्नित किए गए जाली जीएसटी पंजीकरणों की संख्या और इन मामलों से जुड़ी कुल कर चोरी कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा सत्यापन प्रोटोकॉल को मजबूत करने और जीएसटी पंजीकरण तथा फर्जी बिलिंग गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत विवरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या विगत दो वर्षों के दौरान ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में कोई गिरफ्तारी, अभियोजन या दोषसिद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हाँ। ऐसे मामले पाए गए हैं जहाँ जाली या चोरी किए गए पैन और आधार कार्ड का उपयोग करके माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण धोखाधड़ीपूर्ण प्राप्त किए गए, जिसके परिणामस्वरूप नकली/फर्जी चालान बनाए गए और अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित किया गया, जिससे जीएसटी की चोरी हुई। विवरण नीचे सारणीबद्ध है।

(ख): केंद्रीय कर संरचनाओं द्वारा दर्ज मामलों का विवरण निम्नलिखित है:

अवधि	अन्य व्यक्तियों के चुराए गए या जाली पैन/आधार विवरण का उपयोग करके धोखाधड़ीपूर्ण प्राप्त किए गए जीएसटी पंजीकरणों के मामलों की संख्या	ऐसे मामलों में पहचानी गई फर्जी फर्मों की संख्या	पता लगाई गई राशि (₹ करोड़ में)
2023-24	2800	5699	15085
2024-25	1654	3977	13109

(ग) सरकार द्वारा जीएसटी पंजीकरण तथा फर्जी नकली बिलिंग गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत विवरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं:

(i) डेटा विश्लेषण और जोखिम-आधारित मानदंडों द्वारा संचालित बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को पूरे देश में जीएसटी पंजीकरण आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए लागू किया गया है;

(ii) सभी पंजीकरण आवेदनों को डेटा विश्लेषण और जोखिम मानदंडों के आधार पर प्रणाली द्वारा जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है। यह रेटिंग सीबीआईसी के क्षेत्रीय संरचनाओं को उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उचित सत्यापन कर सकें और आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकें;

(iii) नए पंजीकरणों के लिए आवेदक के व्यवसाय स्थल की जियो-टैगिंग करने की आवश्यकता पोर्टल पर प्रदान की गई है। यह जोखिम मूल्यांकन और संदिग्ध आवेदकों/करदाताओं की पहचान करने में मदद करता है;

(iv) पंजीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंक खाता विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। खाता पंजीकृत व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए, जो पंजीकृत व्यक्ति के पैन पर प्राप्त किया गया हो और यदि यह एक स्वामित्व फर्म है, तो इसे आधार से लिंक किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के स्वीकृत होने के 30 दिनों के भीतर या बाहरी आपूर्ति के विवरण दाखिल करने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

(v) निर्धारित समय के भीतर वैध बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण के सिस्टम-आधारित निलंबन का प्रावधान किया गया है;

(vi) जिन मामलों में छह महीनों से रिटर्न दाखिल नहीं किए गए हैं, वहां पोर्टल पर सिस्टम-आधारित पंजीकरण निलंबन किया जाता है;

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि फर्जी पंजीकरण न किए जाएँ, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, जैसे संबंधित प्राधिकरणों, भूमि रजिस्ट्री, बिजली वितरण कंपनियों, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों की वेबसाइटों से सत्यापित की जाती है;

(viii) विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) ने जीएसटी पंजीकरण के समय स्वामित्व वाली फर्मों द्वारा प्रदान की गई डिजिटल जानकारी में विसंगतियों की पहचान करने के लिए एक अभ्यास शुरू किया है। उन जीएसटी पंजीकरणों की पहचान की जाती है, जहाँ व्यक्तिगत विवरणों जैसे कि पैन के दुरुपयोग की आशंका है। इन संदिग्ध जीएसटीआईएन को उचित सत्यापन के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ साझा किया जाता है। इसके अलावा, डीजीएआरएम उन जोखिम भरे करदाताओं की पहचान पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो केवल फर्जी/बोगस चालान बनाने और आपूर्ति श्रृंखला में अनुपयुक्त आईटीसी को हस्तांतरण करने के लिए बनाए गए हैं;

(ix) फर्जी/बोगस पंजीकरणों को खत्म करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी पंजीकरण के खिलाफ राज्य और केंद्रीय जीएसटी प्रशासन के समन्वय में दो विशेष अभियान प्रारंभ किए गए थे।

(घ) गिरफ्तारी और अभियोजन के विवरण इस प्रकार हैं:

अवधि	गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या	प्रारंभ किए गए अभियोजन
2023-24	67	53
2024-25	50	33

****